दिनांक 20.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 39/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना रतनपुरी

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.12.2025 को थाना रतनपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढ़ाना खतौली मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुलफाम उर्फ काला उर्फ गुलफान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रतनपुरी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलफाम उर्फ काला उर्फ गुलफान निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढ़ी पुख्ता, शामली हाल निवासी ग्राम नंगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना शक्तिनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.12.2025 को थाना शक्तिनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हैलीपैड रोड पर झरना बस्ती के आगे मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त साजन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना शक्तिनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजन निवासी बस स्टैण्ड काली मन्दिर के पास थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–लूटे गये पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना न्यू आगरा

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की घटना का अनावरण

● चोरी के आभूषण ब्रिकी के 05 लाख 01 हजार 700 रूपये नगद बरामद

दिनॉकः 19/20.12.2025 की रात्रि थाना न्यू आगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खासपुर चौराहा से भगवान टाकीज की ओर जाने वाली रोड से अभियुक्त राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के आभूषण ब्रिकी के 05 लाख 01 हजार 700 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना न्यू आगरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 29 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी नगला पदी मसानी मंदिर दयालबाग , आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के आभूषण ब्रिकी के 05 लाख 01 हजार 700 रूपये नगद।

जनपद मैनपुरी/थाना घिघोर

● 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● 95 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब

● 01 ट्रैक्टर, ट्राली मय थ्रेसर बरामद

दिनॉकः 19.12.2025 को थाना घिघोर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलालपुर तिराहा से 02 अभियुक्तों 1–सवित 2–दीपक को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 95 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रैक्टर, ट्राली मय थ्रेसर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना घिघोर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सवित निवासी पुठ्ठी थाना गुहाना सदर जनपद सोनीपत, हरियाणा।

2–दीपक निवासी रिठाल थाना सदर जनपद रोहतक, हरियाणा।

बरामदगी

1–95 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रैक्टर, ट्राली मय थ्रेसर।

- **जनपद बस्ती/थाना कलवारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रकाश चन्द्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना लोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सन्नी को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना घोसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 11 हजार 05 सौ रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/452/323 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्णदेव उर्फ तल्लू को 07 वर्ष के कारावास व 11 हजार 05 सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————